**VMS** को प्रयोग करने हेतु दिशा निर्देश :–

**VMS** पर तीन प्रकार के निरीक्षण किये जा सकते हैं।

1- अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण।
2- जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निरीक्षण।
3- कार्यालयों में उपस्थिति का निरीक्षण।

1— अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक निरीक्षण :–

समस्त अधिकारियों को प्रति सप्ताह न्यूनतम 10 निरीक्षण अपने अधीनस्थ कार्यालय/क्षेत्र में करने हैं। प्रत्येक सप्ताह सोमवार से रविवार तक होगा। सप्ताह में किये गये समस्त निरीक्षणों की फीडिंग रविवार तक ही की जा सकेगी। सोमवार से अगले सप्ताह की फीडिंग की जा सकेगी। सप्ताह में 10 से कम निरीक्षण करने वाले अधिकारी डिफाल्टर की श्रेणी में जिलाधिकारी के लागिन में प्रदर्शित होंगे।

2— जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निरीक्षण :–

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निरीक्षण इस लिंक के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा फीड किये जाएंगे। यहां पहले दिये गए कार्य की फीडिंग (रोस्टर भरें लिंक के द्वारा) की जाएगी तथा निरीक्षण के पश्चात् दो दिवस के अन्दर निरीक्षण आख्या सम्बन्धित उच्चाधिकारी को प्रेषित करते हुए इसकी सूचना भी इसी लिंक से फीड की जानी है। दो दिवस के उपरान्त उपरोक्त लिंक लॉक हो जाएगा तथा अधिकारी डिफाल्टर की श्रेणी में प्रदर्शित होने लगेगा।

3— कार्यालयों में उपस्थिति का निरीक्षण :–

इस लिंक के माध्यम से समस्त अधिकारी विभिन्न कार्यालयों/विद्यालयों में उपस्थिति के निरीक्षण की सूचना भरेंगे। यहां पर अनुपस्थित कर्मचारियों के नाम भी फीड किये जाएंगे।

किसी भी तकनीकी सहायता हेतु सम्पर्क सूत्र :–

| | | |
|---|---|---|
| 1— | ए0पी0 सिंह (जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/तकनीकी निदेशक) | 9415184409 |
| 2— | सुनील श्रीवास्तव (साइन्टिस्ट– सी) | 9415572367 |
| 3— | अखिल सक्सेना (नेटवर्क इंजीनियर) | 8543010033 |
| 4— | सुधीर कान्त वर्मा (नेटवर्क इंजीनियर) | 9236255546 |

E-Mail - upsit@nic.in
Whatsup Group - Sitapur Devlopment Police Administration